अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री शैलेन्द बिश्नोई — प्रार्थीया
2. श्री मदन लाल पारीक — अप्रार्थी सं. 1 ता 6
3. श्री जगजीत सिंह रमाणा — अप्रार्थी संख्या 7
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी संख्या 8

—:: निर्णय :—

दिनांकः— 20/04/2026

अधिवक्ता प्रार्थीया श्री शेलेन्द्र बिश्नोई द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि—

यह कि प्रार्थीया द्वारा उक्त अनवान का वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसमें प्रार्थीया को सफलता की पूर्ण आशा व ठोस आधार है।

यह कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 4 आपस में भाई—बहिन हैं तथा मृतक भोलासिंह की विधिक एवं जायज संतानें हैं। अप्रार्थी सं. 5 रणजीत कौर प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं. 3 व 4 की सौतेली माता एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 की सगी माता है, जो भोलासिंह की दुसरी विवाहित पत्नी हैं। भोलासिंह की पहली पत्नी गुरदेव कौर उर्फ छिन्द्र कौर, प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं. 3 व

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

4 की माता थी, जो दिनांक 28.8.1990 को स्वर्गवास हो चुकी है। गुरदेव कौर उर्फ छिन्द्र कौर के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। भोलासिंह की दो शादीयां हुई थी। यह कि भोलासिंह एवं अप्रार्थी सं. 6 नायबसिंह सगे भाई थे, प्रार्थीया के पिता भोलासिंह पुत्र जंगसिंह की मृत्यु दिनांक 30.4.2017 को ग्राम अयालकी में हो चुकी है, जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है । भोलासिंह व नायबसिंह के पिता जंगसिंह पुत्र दलीपसिंह व माता सरजीत कौर पत्नी जंगसिंह की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। भोलासिंह की मृत्यु के पश्चात् उसके जीवित विधिक व जायज वारिसान प्रार्थीया सहित अप्रार्थी सं. 1 ता 5 हैं। जो भोलासिंह को प्राप्त विरासतन पैतृक सम्पति में बराबर–बराबर के हक व हिस्सा रखते हैं तथा अपने–अपने हक व हिस्सा का बंटवारा घोषित करवाकर अपने–अपने हिस्सानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाकर कब्जा प्राप्त करने के हकदार हैं।

यह कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण का सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है। यह कि प्रार्थीया के पिता भोलासिंह के नाम अन्य सह– खातेदारों, नायबसिंह एवं जगसीरसिंह पुत्र जगदेवसिंह के साथ तहसील पीलीबंगा के चक 18 जेआरके, खाता सं. 44/6 प.नं. 48/253 (25) के किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त कृषि भूमि में से प्रार्थीया के पिता भोलासिंह एवं नायबसिंह के पास संयुक्त रूप से 5.060 हैक. यानि 20 बीघा नहरी भूमि है, जिसमें प्रार्थीया के पिता भोलासिंह का 1/2 हिस्सा एवं अप्रार्थी सं. 7 जगसीरसिंह पुत्र जगदेवसिंह के पास 5 बीघा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं उसी के अनुसार प्रार्थीया के पिता भोलासिंह, नायबसिंह व जगसीरसिंह का कब्जा काश्त चला आ रहा है। फोटोप्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थीया के पिता भोलासिंह व नायबसिंह के नाम संयुक्त खाता में तहसील पीलीबंगा के चक 17 जेआरके खाता सं. 58/51 प.नं. 49/253 (24) किला नं. 1 ता 25 = 6.325 हैक. नहरी मय गैरमुमकिन खाला, प.नं. 49/254 (25), किला नं. 1 4 ता 25 = 3.036 हैक. नहरी मय गैरमुमकिन खाला, प.नं. 49/256 (33) के किला नं. 21, 22 = 0.380 हैक. नहरी कृषि भूमि कुल 9.741 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमे प्रार्थीया के पिता का 1/2 हिस्सा है। जिसकी फोटोप्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है । प्रार्थीया के पिता भोलासिंह की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि उसके विधिक जायज एवं कानूनी वारिसान होने के कारण प्रार्थीया को अपने हक व हिस्सा की भूमि प्राप्त करने, खाता विभाजन करने, कब्जा लेने तथा अन्य हिस्सेदारों को अपने हिस्सा से बेदखल करने का हक व अधिकार प्राप्त है।

यह कि आज से 7 रोज पूर्व प्रार्थीया ने गांव के मौतवीर व्यक्तियों की एक पंचायत बुलाकर पंचायत के रोबरू अप्रार्थीगण से अपने दादा, पड़दादा से विरासतन प्राप्त हुई, पैतृक विरासतन सम्पति में भोलासिंह के हिस्सा में से अपने हक व हिस्सा मुताबिक 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि का सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर खाता विभाजन करके कब्जा प्रार्थीया को दिये जाने बाबत् कहा, तो वे स्पष्ट रूप से इन्कार हो गये व धमकी दी कि हम भोलासिंह के नाम उक्त वर्णित भूमि का इन्तकाल अपने नाम से दर्ज करवाएंगे, आपको भोलासिंह की जमीन में कोई हक व हिस्सा नहीं देंगे और उक्त भूमि आगे अन्यंत्र व्यक्तियों को बैचान करेंगे, यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, तो प्रार्थीया अपने अधिकारों से वंचित हो जाएगी एवं प्रार्थीया को नापूरा होने वाला नुकसान होगा, जिसकी भरपाई किसी भी रूप में किया जाना संभव नहीं होगा, प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का सन्तुलन भी पूर्ण रूप से प्रार्थीया के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थीया अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद जारी की जावे कि अप्रार्थीगण वाद के अन्तिम निर्णय तक तहसील पीलीबंगा के चक 18 जेआरके, खाता सं. 44/6 प.नं. 48/253 (25) के किला नं. 1 ता 25 = 6.325 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता में से प्रार्थीया के पिता भोलासिंह व नायबसिंह की 5.060 हैक. कृषि भूमि व चक 17 जेआरके खाता सं. 58/51 प.नं. 49/253 (24) किला नं. 1 ता 25 = 6.325 हैक. नहरी मय गैरमुमकिन खाला, प.नं. 49/254 (25), किला नं. 14 ता 25 = 3. 036

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

हैक. नहरी मय गैरमुमकिन खाला, प.नं. 49/256 (33) के किला नं. 21,22 = 0. 380 हैक. नहरी कृषि भूमि कुल 9.741 हैक्टर इस प्रकार दोनो चको की कुल 14.801 हैक. कृषि भूमि में प्रार्थीया के पिता भोलासिंह के 1/2 हिस्सा की भूमि को रहन, बैय एवं अन्तरण करने से बाज व ममनू रहें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें। श्रीमान् जी कि अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया बहस अधिवकता प्रार्थी सुनी जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की ओर से श्री मदन लाल पारीक अधिवक्ता हाजिर होकर वकालतनामा व जवाब अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 प्रस्तुत किया गया है।

जबाव प्रार्थनापत्र अप्रार्थी सं. 1 ता 6 की ओर से निम्न प्रकार से है–यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होना मात्र स्वीकार है लेकिन उसमें प्रार्थीया को सफलता की कोई सम्भावना नही है ।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 जिस तरह से दर्ज की गई है स्वीकार नही है। यह कि स्व. भोला सिंह की पत्नी का नाम गुरदेव कौर न होकर सुखदेव कौर है। प्रार्थीया इस परिवार की सदस्य नही है। इसे अपनी माता व परिवार के सदस्यों की भी जानकारी नही है। अप्रार्थीया सं.4 को वह अपनी सगी बहन बताती है पर नाम की उसे जानकारी नही है। इसका सही नाम सुखप्रीत कौर है और अप्रार्थी सं. 3 की उम्र 27 वर्ष है जो प्रार्थीया से छोटी है। जबकि प्रार्थीया नें उसकी उम्र अपने से ज्यादा दर्ज करवाकर बड़ी बहन बना रखा है। प्रार्थीया का स्व. भोला सिह से बतौर पुत्री सम्पर्क व सम्बंध नही है और न ही प्रार्थीया का भोला सिंह एवं भोला सिंह के परिवार से कोई सम्बंध है । भोला सिंह के परमजीत कौर नाम की कोई पुत्री नही है और न ही थी । प्रार्थीया नें गलत एवं झूठा दावा पेश किया है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 जिस तरह से दर्ज है स्वीकार नही है। जंग सिंह की पत्नी का नाम सरजीत कौर न होकर सुरजीत कौर था। प्रार्थीया का भोला सिंह व उसके परिवार के साथ किसी प्रकार का सम्पर्क व सम्बंध नही है। भोला सिंह के परमजीत कौर नाम की कोई पुत्री नही है। प्रार्थीया नें भूमि हड़पने के लिये दावा किया प्रार्थीया जो अपने को भोला सिंह की तथाकथित पुत्री बता रही है जो गलत है। वह भोला सिंह की वारीस नही है। इसलिये इस भूमि में इसका कोई हक हिस्सा नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में दर्ज सजरा खानदान गलत है स्वीकार नही। जंग सिंह की पत्नी का नाम सुरजीत कौर, भोला सिंह की पत्नी का नाम सुखदेव कौर व भोला सिंह की पुत्री सुखविन्द्र कौर सुखदीप कौर है। भोला सिंह के परमजीत कौर उर्फ मनदीप कौर नाम की कोई पुत्री नही है। मनदीप कौर नाम की एक पुत्री थी जो काफी वर्ष पूर्व सन 2012 में घर से चली गई थी। जिसका आज तक कोई अता पता व जानकारी नही है व न ही उसके जीवित होने के बारे में आज तक सुना गया है।

प्रार्थीया परमजीत कौर जो तथाकथित मनदीप कौर बनकर यह भूमि हड़पना चाहती है। यह प्रार्थीया भोला सिंह की पुत्री नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित भूमि मुताबिक राजस्व अभिलेख स्वीकार है प्रार्थीया भोला सिंह की वारीस नही है । भोला सिंह की एक पुत्री जो मनदीप कौर थी उसका सन 2012 के बाद से कोई जानकारी नही है। मनदीप कौर का घर से चले जाने के बाद दिनांक 22.09.2012 को स्व. भोला सिंह ने प्रेस नोट जारी किया था की मनदीप कौर घर से चली गई है आज तक वापिस नही आई है जो मेरे कहे में नही है इसका मेरे साथ कोई सम्बंध व व्यवहार नही है और न ही मेरी ये उतरदायी है। मनदीप कौर को अपनी समस्त चल अचल सम्पति से बेदखल करता हूँ एवं उसका आज के बाद कोई हक हिस्सा नही है। इस प्रकार मनदीप कौर का भी इस भूमि में कोई हक हिस्सा नही रहा है और न ही स्व. भोला सिंह उसे कोई हक हिस्सा देना चाहते थे। यही उनकी अन्तिम ईच्छा थी। मनदीप कौर कभी भी भोला सिंह के जीवनकाल में एवं मृत्यु के बाद यहां नही आई है। भोला सिंह की मृत्यु के समय पाठ भोग अन्य संस्कार व कार्यक्रम में कभी नही आई थी और न ही कभी उसके जीवित होने के बारे मे सुना है। मनदीप कौर कहाँ है उसका आज तक कोई

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पता नही है। अप्रार्थीगण जो– प्रार्थीया परमजीत कौर व उसके पति मक्खन सिंह को नही जानते है। तथाकथित प्रार्थीया जो परमजीत कौर है वह अपने पति मक्खन सिंह के साथ मिलकर तथाकथित मनदीप कौर बनकर स्व. भोला सिंह की भूमि हड़पना चाहती है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 में अकिंत भूमि वर्णन मुताबिक राजस्व अभिलेख स्वीकार है। शेष तथ्य कतई गलत एवं मिथ्यारचित है स्वीकार नही। प्रार्थीया परमजीत कौर जो मनदीप कौर नही है। यह मनदीप कौर बनकर भूमि हडपना चाहती है। मनदीप कौर सन 2012 में अपने परिवार व पिता से सभी रिश्ते खत्म कर घर से चली गई थी। जो आज तक वापिस नही आई है और न ही आज तक मनदीप कौर को देखा है व उसके बारे में सुना नही है। प्रार्थीया का प्रशनगत भूमि में कोई हक हिस्सा नही है। प्रशनगत भूमि को हडपने की नियत से यह झूठा दावा किया है जो काबिल खारिज के है ।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 कतई गलत एवं मिथ्यारचित है। प्रार्थीया कभी भी गांव अयालकी नही आई है और न ही हम इसको जानते है। इस बाबत गांव में कभी कोई पचांयत भी नही हुई है। प्रार्थीया समस्त तथ्य मनगढत एवं दावा को रंगत देने की नियत से गलत एवं झूठे अकिंत किये है। मनदीप कौर पुत्री भोला सिंह जो स्व. भोला सिंह के जीवन काल में घर छोड़कर चली गई थी। आज दिनांक तक कभी भी वापिस नही आई है पचांयत करने बाबत तथ्य अपने आप गलत साबित होते है । भोला सिंह नें प्रेस नोट जारी कर अपनी पुत्री मनदीप कौर को अपनी समस्त सम्पति से बेदखल कर दिया था। प्रार्थीया तथाकथित मनदीप कौर का इस भूमि में कोई हक हिस्सा नही है। प्रार्थीया को किसी प्रकार की अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति नही हो रही है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में न होकर मिन अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीया का प्रशनगत भूमि के किसी भी अंश पर कब्जा काश्त नही है। प्रार्थीया मिन अप्रार्थीगण के खिलाफ किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की हकदार नही है। इसलिये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है।

अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से श्री जगजीत सिंह रमाणा हाजिर वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र जवाब अप्रार्थी स. 7 की और से निम्न प्रकार से है– यह कि उक्त अनवान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होना स्वीकार है। लेकिन प्रार्थी को सफलता की कोई आशा नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 को प्रार्थी स्वंय सिद्ध करे मिन अप्रार्थी का इससे कोई सम्बध नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है, प्रार्थी स्वंय सिद्ध करे।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है, चक 18 जेआरके की कृषि भूमि में मिन अप्रार्थी के नाम 1.265 हैक. दर्ज हिस्सा है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है, इस दफा में चक 17 जेआरके में मिन अप्रार्थी को कोई हिस्सा दर्ज नही है, प्रार्थी ने मिन अप्रार्थी के खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा है, भोला सिंह के नाम भूमि में यदि उनका कोई हक बनता है तो मिन अप्रार्थी को कोई एतराज नही है, मिन अप्रार्थी के नाम कृषि भूमि गिफ्ट डीड से है, प्रार्थीया ने मिन प्रार्थी के खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा है इस कारण प्रार्थीया मिन अप्रार्थी के नाम चक 18 जेआरके के खाता स. 44/6 के प.न. 48/253 में दर्ज 1.265 हैक. मे किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नही है। उनका हक व हिस्सा मिन प्रार्थी के नाम भूमि में नही बनता, इस कारण उनका प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज फरमाया जावे यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है, प्रार्थी का प्रथत दृष्टय मामला व सुविधा का संतुलन नही बनता न ही मिन अप्रार्थी की हद तक उनका कोई हिस्सा बनता है. साझें खाते की कृषि भूमि में सह खातेदार के खिलाफ किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीया प्राप्त करने की अधिकारी नही है, मिन प्रार्थी अपने हक व हिस्से पर कब्जा काश्त है, प्रार्थीया ने मिन अप्रार्थी के खिलाफ प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा है, इस कारण मिन अप्रार्थी की हद तक प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

बहस उभय पक्ष का मनन किया गया पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र 212 आरटीए को हम अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन विन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

**1. प्रथम दृष्टया मामला** :– प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थीया को प्रथम दृष्ट्या आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा का अधिकार प्राप्त है चूंकि उपर्युक्त विवेचन एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि उक्त वाद भूमि यदि प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम है जो वाद भूमि के रिकोर्ड खातेदार है। प्रार्थीया के हक हिस्सों की घोषणा के लिए न्यायालय हाजा में अन्तर्गत धारा 88–188 आरटीए वाद जैरकार जिसमें साक्ष्य सबूतों एवं तनकीयात के आधार पर प्रार्थीया को अपना वाद सावित करना है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में व विरूद्व अप्रार्थीगण सावित होता है।

2 **सुविधा का संतुलन** :– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थीया को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। क्योंकि वाद पत्र में वर्णित रकबा यदि प्रार्थीया के हक्क व हिस्सा की भूमि निहित होने की दशा में सुविधा का सन्तुलन बिन्दू भी प्रार्थीया के पक्ष में व विरूद्व अप्रार्थीगण साबित है।

3 **अपूर्णीय क्षति** :– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में अपूर्णीय क्षति के बिन्दू से तात्पर्य यह है कि यदि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया जाता है तो प्रार्थीया के हक्क हिस्सा की भूमि रहन बैय होने की दशा में अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने हकों की घोषणा के लिए अन्तर्गत धारा 88–188 आरटीए के तहत वाद जैरकार है जिसमें गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना है। अस्थाई निषेधाज्ञा के उपरोक्त प्रथम दृष्ट्या व सुविधा का सन्तुलन बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित है। इस प्रकार अपूर्णीय क्षति बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में व अप्रार्थी के विरूद्व साबित है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार एवं प्रस्तुत दस्तावेजों तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में व विरूद्व अप्रार्थीगण साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 आरटीए साबित होने के कारण ता दावा फैसला निरन्तर किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 20/4/26 सुनाया गया।

( उमा मित्तल आर.ए.एस. )
उपखण्ड अधिकारी एवम्
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा